

नियम 6 : अभिलेखों की अभिरक्षा

रजिस्ट्रार के पास अपील अधिकरण के अभिलेखों की अभिरक्षा होगी और किसी भी मामले या विषय में फाइल कोई अभिलेख या दस्तावेज अपील अधिकरण की अनुमति के बिना अपील अधिकरण की अभिरक्षा से बाहर नहीं ले जाया जाएगा :

परंतु रजिस्ट्रार, अपील अधिकरण के किसी अन्य अधिकारी को अपील अधिकरण से प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए कोई सरकारी कागज या अभिलेख हटाने की अनुमति दे सकेगा।
